JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
1st Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250-4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brlp.in

प्रेषक,

बालामुरुगन डी.
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार सरकार।

विषय: बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के अंतर्गत संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों/ ग्राम संगठनो एवं संकुल स्तरीय संगठनों और ग्राम-पंचायत के बीच समन्वय हेतु पायलट योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों की आजीविका परियोजनाओ के तहत संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघो (ग्राम-संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठनों) एवं ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्थाओ के परस्पर तालमेल के साथ कार्य करने की आवश्यकता बताई गयी है। इसके अंतर्गत बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा संवर्धन के पायलट कार्य हेतु कुदुमश्री (केरल) के साथ अनुबंध (MoU) किया गया है। इस पायलट योजना हेतु तीन जिला (नालंदा, मुज़फ्फरपुर, एवं पटना) अंतर्गत छह प्रखंडों (राजगीर, सिलाव, मरवान, मुसहरी, धनरुआ, एवं मसौढ़ी) के दस संकुल स्तरीय संगठनों (पचास पंचायतों) को चयनित किया गया है।

इस पायलट योजना के क्रियान्वयन से पंचायत प्रतिनिधियों एवं सामुदायिक संगठनों का संवर्धन किया जाना है। इसके अंतर्गत ग्राम- पंचायत, ग्राम-संगठनों एवं संकुल स्तरीय संगठनों (जीविका) के समन्वय से विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजकीय योजनओं के लाभ जीविका द्वारा संचालित महिला स्वयं सहायता समूहों के परिवारों को मिलना है। पायलट योजना को सफल बनाने हेतु सक्रिय ग्राम पंचायत अध्यक्षों का चयन एवं उनकी सहभागिता महत्वपूर्ण है।

इस विषय में अनुरोध है कि इस पायलट योजना के सफल क्रियान्वयन और मुखिया की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में समुचित मार्गदर्शन दिया जाय तथा जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को भी निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन,

Signed by Balamurugan D
Date: 24-04-2022 18:16:59
Reason: Approved

(बालामुरुगन डी.)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह-राज्य मिशन निदेशक